महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

शिक्षा मंत्रालय ([redacted], भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
Ministry of Education ([redacted], Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं. 17-3/2019(शै.)/मसारावविप्र/ दिनांक : 31.12.2020

कार्यालय आदेश – 986

विषय : वेद पाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में अध्यापक – छात्र अनुपात के अतिरिक्त अध्यापकों के अन्यत्र समायोजन के संदर्भ में ।

प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित वेद पाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों की नियमावली अनुसार 1 वेदाध्यापक के अन्तर्गत अधिकतम 10 वित्तपोषित छात्र स्वीकार्य हैं । वेद पाठशालाओं में 40 वित्तपोषित छात्रों पर संस्कृत एवं सामाजिक अध्ययन के अध्यापन हेतु 1 अध्यापक तथा गणित एवं अंग्रेजी के अध्यापन हेतु 1 अध्यापक प्रदान किए जाने का प्राविधान है ।

अत: वेद पाठशालाओं में अलग-अलग वेद शाखाओं के वेदाध्यापकों के अन्तर्गत प्रत्येक वेदाध्यापक के छात्रों की संख्या पर्याप्त नहीं होने पर एक ही वेद शाखा के छात्र जो अलग-अलग अध्यापकों के अधीन अध्ययनरत हैं उन छात्रों को एक वरिष्ठ अध्यापक के अधीन कर कनिष्ठ वेदाध्यापक को अन्यत्र समायोजन किया जाना है ।

इसी प्रकार वेद पाठशालाओं में 40 छात्रों के लिए एक से अधिक संस्कृत+सामाजिक अध्ययन एवं 1 से अधिक गणित+अंग्रेजी के अध्यापक होने पर भी कनिष्ठ अध्यापकों को अन्यत्र समायोजित किया जाना है ।

गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में भी इकाई अध्यापक के अधीन कम छात्र संख्या होने पर इकाई के छात्रों को निकटस्थ किसी अन्य इकाई अथवा पाठशाला में समायोजित किया जाना है ।

अत: समस्त वेद पाठशाला प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है, कि वेद पाठशाला में अध्यापन कराई जा रही वेद की विभिन्न शाखाओं के अन्तर्गत प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदाध्यापकों के अधीन छात्र संख्या (अधिकतम 10 छात्र प्रति वेद शाखा अध्यापक) पूर्ण करें । इसी प्रकार समस्त गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक भी अपनी इकाई में छात्र संख्या पूर्ण करें ।

वेदपाठशालाओं/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाईयों में समय रहते हुए प्रत्येक वेद शाखा के वित्तपोषित अध्यापक के अधीन में अधिकतम 10 छात्र रहें तथा तदनुसार छात्र वार्षिक परीक्षा में उपस्थिति हो।

तीन माह पश्चात् वेद पाठशालाओं/ इकाइयों में अध्यापक एवं छात्रों के अनुपात की समीक्षा की जाएगी तथा पाठशाला में छात्रों की संख्या के अनुपालन में वरिष्ठ अध्यापकों के अतिरिक्त कनिष्ठ अध्यापकों को अन्यत्र समायोजित कर दिया जाएगा । गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में कम छात्र संख्या होने पर इकाई को बंद कर छात्रों को अन्यत्र किसी इकाई अथवा वेदपाठशाला में समायोजित किया जाएगा । इस हेतु आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी ।

भवदीय,

31.12.2020

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि : समस्त अनुदानित वेद पाठशाला प्रबंधकों / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों को सूचनार्थ ईमेल एवं प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ ।

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 फैक्स (0734-2502253)
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in